

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ3(ख)एस—881 / 2013 / अलेसे—गा / ५७९

दिनांक :— २१.०३.२०२३

कार्यालय आदेश

श्री शशिकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—गा (लिंक नं. 11614) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को निम्न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

| क्र. सं. | नाम परीक्षा | सत्र/वर्ष | आयोजक संस्था |
|----------|--|---------------|--|
| 1 | एम.कॉम. (ई.ए.एफ.एम.) फॉइनल (नॉन कॉलेजिएट) (अंक सुधार हेतु) | 2023 | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर |
| 2 | यू.जी.सी. नेट परीक्षा (वाणिज्य विषय) | दिसम्बर, 2022 | एन.टी.ए. |
| 3 | राजस्थान राज्य ऐलिजिबिलीटी टेस्ट (सेट) (वाणिज्य विषय) | 2023 | गोविन्द गुरु जन जातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संरथान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी रथान विशेष पर पदरथापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र रथानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


अधिकारी
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ3(ख)एस—881 / 2013 / अलेसे—गा / ५७९

दिनांक :— २१.०३.२०२३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक


(के.जी.गुप्ता)
अति. निदेशक (कार्मिक—गा एवं गा)